



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273963
CG-DL-E-01072026-273963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 178]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/036/2026

विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा थायलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बायएक्सिसली ओरिएंटेड पॉलियामाइड (बीओपीए) फिल्म के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

1. फा. सं. 6/38/2026-डीजीटीआर.— जेपीएफएल फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में

रेसोरसिनाॅल (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुओं " कहा गया है) के उन आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका उद्गम चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान में है अथवा जिनका निर्यात इन देशों से किया जाता है (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है)।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है, जिसके कारण भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक (भौतिक) बाधा/विलंब उत्पन्न हो रहा है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद बायएक्सिली ओरिंटेड पॉलियामाइड (बीओपीए) फिल्म है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सामान्यतः बीओपीए फिल्म, बायएक्सिली ओरिंटेड नायलॉन (बीओएन) फिल्म, बीओपीए नायलॉन फिल्म अथवा नायलॉन फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। बीओपीए फिल्में उच्च-प्रदर्शन वाली विशेषीकृत लचीली पैकेजिंग फिल्मों हैं, जिनका निर्माण पॉलीएमाइड रेजिन से बायएक्सिली ओरिंटेड पॉलियामाइड प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। यह अपनी उच्च यांत्रिक शक्ति, समदिशीय गुणों, गंध एवं सुगंध प्रतिरोधक क्षमता, गर्म एवं ठंडे फॉर्मिंग प्रतिरोध, नमी एवं ऑक्सीजन अवरोधक गुणों तथा छेदन प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। बीओपीए फिल्मों की मोटाई सामान्यतः 12 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के बीच होती है।
5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग खाद्य पदार्थों, तरल उत्पादों तथा औषधीय (फार्मास्यूटिकल) उत्पादों की विशेषीकृत पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। औषधि उद्योग में इसका उपयोग ब्लिस्टर फॉइल के एक घटक के रूप में, पीवीसी एवं एल्यूमिनियम फॉइल के साथ संयोजन में, टैबलेट, कैप्सूल तथा अन्य चिकित्सीय उत्पादों की पैकेजिंग हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग खाद्य तेल, जमे हुए खाद्य पदार्थ, केचप, रिटॉर्ट उत्पाद तथा डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग में भी किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग घरेलू एवं व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे डिटर्जेंट, शैम्पू, शॉवर जेल, लिक्विड हैंडवॉश, डिशवॉश तथा अन्य समान तरल एवं अर्द्ध-तरल उत्पादों की पैकेजिंग में भी किया जाता है।
6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (MT) मानी गई है।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्षक 3920 में वर्गीकृत है तथा यह टैरिफ मदों 3920 92 19 और 3920 92 99 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे के निर्धारण के लिए बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदक ने वर्तमान चरण में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा, यदि उपयुक्त समझें, तो उसके समर्थन में युक्तिसंगत औचित्य सहित उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCNs) का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। ऐसी टिप्पणियाँ एवं प्रस्ताव वर्तमान जांच के शुरुआत की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने यह कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न स्ट्रेचिंग विधियों द्वारा किया जा सकता है, अर्थात् समकालिक स्ट्रेचिंग तथा क्रमिक स्ट्रेचिंग। आवेदक डबल बबल प्रक्रिया का उपयोग करते हुए समकालिक स्ट्रेचिंग विधि द्वारा संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करता है, जबकि संबद्ध देशों के उत्पादक इस उत्पाद का निर्माण क्रमिक स्ट्रेचिंग प्रक्रिया अथवा टेंटर फ्रेम या क्लिप्स प्रक्रिया का उपयोग करते हुए समकालिक

स्ट्रेचिंग विधि द्वारा कर सकते हैं।हालाँकि, आवेदक का यह दावा है कि उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर होने से उत्पादित वस्तुओं में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा निर्मित उत्पादों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।

10. आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों वस्तुओं में तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तुओं' के रूप में माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह आवेदन जेपीएफएल फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसने भारत में BOPA फिल्म के लिए पहला घरेलू विनिर्माण संयंत्र महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया है तथा 1 जनवरी 2025 से उत्पादन प्रारंभ किया है। आवेदक के उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू मांग को पूर्णतः आयातों पर निर्भरता के माध्यम से पूरा किया जाता था। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में समरूप उत्पाद का कोई अन्य घरेलू उत्पादक उपलब्ध नहीं है तथा वह देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।
12. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसने जांच अवधि (POI) के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। आवेदक ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि उसका संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
13. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक भारत में समरूप वस्तुओं का प्रथम एवं एकमात्र घरेलू उत्पादक है तथा घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक नियमों के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है तथा यह आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

14. वर्तमान पाटन-रोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य एवं थायलैंड हैं।

च. जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (POI) 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) निर्धारित की गई है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि (POI) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि आवेदक ने केवल जांच अवधि के दौरान ही संचालन प्रारंभ किया है, इसलिए आवेदक के प्रदर्शन का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर भी किया जा सकता है।

छ. कथित पाटन का आधार

क. चीन के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। यदि ऐसे उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असफल रहते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों की अनुसूची-1 के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

17. वर्तमान प्रारंभ के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है और किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अभिलेख में सूचना उपलब्ध न होने के कारण, भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तियुक्त लाभ के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

क. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू विक्रय मूल्यों तथा वास्तविक उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, आवेदक थाईलैंड में प्रचलित घरेलू विक्रय मूल्यों के आधार पर अथवा थाईलैंड से किसी उपयुक्त तृतीय देश को किए गए निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ रहा है।
19. वर्तमान प्रारंभ के प्रयोजन हेतु, थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध न होने के कारण, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तियुक्त लाभ के लिए विधिवत समायोजन किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

20. प्रारंभ के प्रयोजन हेतु, संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम्स डेटा में रिपोर्ट किए गए CIF मूल्य को आधार मानकर निर्धारित किया गया है। जहाँ-जहाँ दावा किया गया है तथा आवश्यक समझा गया है, वहाँ समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, आंतरिक परिवहन, द्वितीयक पैकेजिंग, ऋण लागत तथा भंडारण वहन लागत के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं, ताकि एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य प्राप्त किया जा सके।
21. इस प्रकार निर्धारित किया गया शुद्ध निर्यात मूल्य वर्तमान जांच के प्रारंभ के उद्देश्य से उपयुक्त माना गया है।

घ. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है तथा यह महत्वपूर्ण है। तदनुसार, पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं भारतीय बाजार में पाटन की जा रही है।

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य

23. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि संबद्ध देशों से कथित रूप से डंप किए गए आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक अवरोध उत्पन्न किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में उत्पादन प्रारंभ होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा ये संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को अंडरकट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि डंप किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग को उसके लक्षित मूल्यों को प्राप्त करने से भी रोका है।
24. आवेदक ने यह दावा किया है कि डंप किए गए आयातों की उपस्थिति के कारण वह अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने में असमर्थ रहा है, जबकि ये आयात लगभग संपूर्ण बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण हानि, नकद हानि हुई है तथा निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसका वास्तविक प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन से कम रहा है। इसके अतिरिक्त, मानक

लागत संरचनाओं को ध्यान में रखने के बावजूद भी, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन अपेक्षित प्रदर्शन की तुलना में काफी कम ही रहेगा।

25. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी प्रथम दृष्टया यह इंगित करती है कि संबद्ध देशों से कथित रूप से पाटन किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को उसकी स्थापना में वास्तविक अवरोध के रूप में क्षति हुई है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि कथित पाटन किए गए आयातों तथा घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई वास्तविक अवरोध की स्थिति के बीच एक कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

झ. पाटन-रोधी जांच की शुरुआत

26. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत समर्थित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्ट होते हुए कि संबद्ध देशों से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का डंपिंग किया जा रहा है, घरेलू उद्योग को उसकी स्थापना में वास्तविक अवरोध के रूप में क्षति हुई है तथा कथित पाटन किए गए आयातों एवं घरेलू उद्योग द्वारा झेली गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है, और अधिनियम की धारा 9A तथा नियमों के नियम 5 के अनुरूप, प्राधिकारी इसके द्वारा एक पाटन-रोधी जांच प्रारंभ करता है। यह जांच कथित रूप से संबद्ध देशों से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंपिंग के अस्तित्व, स्तर एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा उपयुक्त पाटन-रोधी शुल्क की अनुशंसा करने के उद्देश्य से की जा रही है, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग की स्थापना में हुई वास्तविक अवरोध के रूप में हुई क्षति को दूर करने हेतु पर्याप्त होगा।

ज. प्रक्रिया

27. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

28. इस जांच से संबंधित समस्त सूचना, प्रश्नावली तथा प्रस्तुतियाँ केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही, इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएँगी। प्राधिकारी ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकता है।
29. इस जांच में भाग लेने हेतु सभी हितबद्ध पक्षकार को स्वयं को सेतु पोर्टल (<https://setudgtr.gov.in>) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को पंजीकरण में कोई कठिनाई होती है, तो वह डीजीटीआर सेतु हेल्पडेस्क से <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से संपर्क कर सकता है। सभी संचार एवं प्रस्तुतियाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित केस आईडी के अंतर्गत केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दाखिल की जाएँगी। हितबद्ध पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ अथवा एमएस वर्ड प्रारूप में दाखिल किया जाए, जबकि आंकड़ों से संबंधित फाइलें उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं सहित एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएँ।
30. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों की सरकारों के दूतावासों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में सभी प्रासंगिक सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रपत्र और रीति में दाखिल की जाएगी।
31. इस जांच में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया एवं अन्य प्रस्तुतियाँ दाखिल करें।
32. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रारूप एवं पद्धति के अनुसार, प्रारूप एवं तरीके में प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई पक्ष

प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करता है, तो उसे उसी के साथ का एक अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

33. हितबद्ध पक्षकार को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) का अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकार को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित आगे के विकासों के प्रति सतर्क रहें तथा वे समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों जैसे कि प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई हेतु नोटिस, प्रकटीकरण, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ, अंतिम निष्कर्ष तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के संबंध में स्वयं को अद्यतन एवं सूचित रखें।

ठ. समय सीमा

34. गोपनीय संस्करण तथा अगोपनीय संस्करण को सेतु पोर्टल के संबंधित निर्धारित अनुभागों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर प्रसारित किया जाएगा अथवा नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।
35. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाले किसी भी पक्ष को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ एवं प्रस्तुतियाँ कठोर रूप से दाखिल करनी होंगी।
36. विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिन की अवधि, इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
37. विचाराधीन उत्पाद (PUC) / उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद (PUC) तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों की अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) के निर्धारण की तिथि से प्रारंभ होगी। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ जांच प्रारंभ होने के पश्चात् विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के इस संभावित विस्तार के अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप, विचारार्थ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
38. किसी भी समय-विस्तार के अनुरोध को संबंधित पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से मूल निर्धारित समय-सीमा से कम से कम 3 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस समय-सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

39. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी पक्ष यदि गोपनीय आधार पर कोई प्रस्तुति करता है या सूचना प्रदान करता है, तो उसे नियमावली, नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार, उसी सूचना का एक अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

40. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी पक्ष प्रस्तुति, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर तथा उनसे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं, प्रस्तुत करने वाले पक्षों को गोपनीय तथा अगोपनीय संस्करणों को सेतु पोर्टल के निर्धारित अनुभागों में अलग-अलग रूप से दाखिल करना आवश्यक होगा।
41. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुतियाँ देने वाले पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि—
- क. दो पृथक संस्करण अपलोड किए जाएँ, जिनमें एक को गोपनीय तथा दूसरे को अगोपनीय के रूप में चिन्हित किया गया हो।
- ख. जहाँ प्रस्तुति में अनेक भाग या अनुलग्नक शामिल हों, वहाँ सभी ऐसे भागों एवं अनुलग्नकों की सूची सहित एक अनुक्रमणिका प्रस्तुत की जाए तथा
- ग. प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या अंकित हो।
42. जहाँ मूल दस्तावेज़ अंग्रेज़ी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो, वहाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज़ के साथ-साथ उसका अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में सही एवं प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
43. गोपनीय अथवा अगोपनीय प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से गोपनीय अथवा अगोपनीय अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी प्रस्तुतीकरण पर, जिस पर उक्त प्रकार का अंकन नहीं होगा, प्राधिकारी द्वारा उसे अगोपनीय माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकार को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
44. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना शामिल की जाएगी जो स्वभावतः गोपनीय है, अथवा ऐसी कोई भी सूचना जिसे जिसे संबंधित सूचना प्रदाता गोपनीय घोषित करता है। ऐसी जानकारी, जिसे गोपनीय माना गया है, चाहे वह स्वभाव से गोपनीय हो या किसी अन्य कारण से, उसके संबंध में सूचना प्रदाता को उसके साथ एक उचित कारण कथन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि उक्त जानकारी का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।
45. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण का समरूप होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी को यथासंभव सूचकांकित या जहाँ सूचकांकित करना संभव न हो वहाँ रिक्त किया जाएगा। ऐसी जानकारी को उस सूचना के स्वरूप के अनुसार, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित एवं पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए।
46. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तुओं को यथोचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह मानता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है, वह पक्ष इस तथ्य को इंगित कर सकता है तथा ऐसे कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें यह पर्याप्त एवं उचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, जो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार हो।
47. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों पर अपनी टिप्पणियाँ, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के प्रसारित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
48. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है या उसके सामान्यीकृत अथवा सारांशित रूप में प्रकटीकरण के लिए अधिकृत करने को इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना को विचार से बाहर रख सकता है।

49. कोई भी प्रस्तुति, जिसके साथ उसका सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा नियमों के नियम 7 तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं उपयुक्त कारण कथन संलग्न नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा।
50. जहाँ प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, वहाँ वह ऐसी सूचना को, सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना, किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

51. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

52. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार करता है अथवा उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

SETU Case ID: AD/OI/036/2026

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Biaxially Oriented Polyamide (BOPA) Film originating in or exported from China PR and Thailand

A. BACKGROUND

1. **F. No. 6/38/2026-DGTR.**— JPFL Films Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Biaxially Oriented Polyamide (BOPA) Film (hereinafter referred to as the “product under consideration” or “subject goods”) originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India at dumped prices and are materially retarding the establishment of the domestic industry in India. Accordingly, the applicant has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is Biaxially Oriented Polyamide (BOPA) Film.

4. The product under consideration is also commonly known as BOPA Film, Biaxially Oriented Nylon (BON) Film, BOPA Nylon Film or Nylon Film. BOPA Films are high-performance specialised flexible packaging films manufactured from polyamide resin through biaxial orientation technology. It is known for its high mechanical strength, isotropic properties, odour and aroma resistance, hot and cold forming resistance, moisture and oxygen barrier properties, and puncture resistance. BOPA films have different thicknesses ranging from 12 microns to 30 microns.

5. The product under consideration is used as specialised packaging material for food, liquids and pharmaceutical products. In the pharmaceutical industry, it is used as a component in blister foils in combination with PVC and aluminium foil for packing tablets, capsules and other medical products. It is also used for packaging products such as edible oil, frozen foods, ketchup, retort products and dairy products. Further, it is used in packaging household and personal care products such as detergents, shampoo, shower gel, liquid handwash, dishwash and similar liquid and semi-liquid products.

6. The unit of measurement considered for the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).

7. The product under consideration is covered under Chapter 39, Heading 3920 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under tariff items 3920 92 19 and 3920 92 99. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

8. The applicant has not proposed any Product Control Number (PCN) methodology at the present stage. Interested parties may provide comments on the scope of the product under consideration and propose Product Control Numbers (PCNs), if any, along with justification therefor, within fifteen (15) days from the date of initiation of the present investigation.

C. LIKE ARTICLE

9. The applicant has stated that there are no known material differences in the subject goods produced by the applicant and those imported from the subject countries. The applicant has submitted that the subject goods can be produced through different stretching methods, namely simultaneous stretching and sequential stretching. The applicant manufactures the subject goods through simultaneous stretching method using the double bubble process, while producers in the subject countries may manufacture the product through sequential stretching process or simultaneous stretching method using tenter frame or clips process. However, the applicant has submitted that the difference in production technology does not result in any difference in the products produced, and the products produced through different technologies are used interchangeably.

10. The product produced by the applicant and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the goods produced by the applicant have been *prima facie* considered as 'like article' to the subject goods imported from the subject countries.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The application has been filed by JPFL Films Private Limited. The applicant has submitted that it established the first domestic manufacturing facility for BOPA Film in India, at Nashik, Maharashtra, and commenced production on 1st January 2025. Prior to the commencement of production by the applicant, the Indian market was entirely dependent on imports for meeting domestic demand of the subject goods. The applicant has claimed that there are no other domestic producers of the like product in India and that it is the sole producer of the subject goods in the country.

12. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The applicant has further submitted that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India.

13. Based on the information available on record, the Authority considers that the applicant is the first and sole domestic producer of the like article in India and accounts for 100% of the domestic production. Accordingly, the Authority considers that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Rules.

E. SUBJECT COUNTRIES

14. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR and Thailand.

F. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

15. The period of investigation (“POI”) for the present investigation is from 1st January 2025 to 31st December 2025 (12 months). The injury investigation period covers the periods 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI. Further, since the applicant was operation only during the period of investigation, the quarterly performance of the applicant may also be analysed.

G. BASIS OF ALLEGED DUMPING**a) Normal value for China PR**

16. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy country and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sale of the subject goods. Unless such producers demonstrate that market economy conditions prevail, normal value for China PR is required to be determined in accordance with Annexure-I of the Rules.

17. For the purpose of the present initiation, the Authority has considered China PR to be a non-market economy and determined normal value for China PR based on price payable in India, in the absence of information on record for determining normal value on any other basis. The normal value has been constructed based on the cost of production, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

b) Normal value for Thailand

18. The applicant has submitted that reliable information regarding domestic selling prices and actual cost of production of the subject goods in Thailand was not available. Accordingly, the applicant could not determine normal value on the basis of domestic selling prices prevailing in Thailand or on the basis of exports from Thailand to an appropriate third country.

19. For the purpose of the present initiation, in the absence of reliable information regarding domestic selling prices or cost of production of the subject goods in Thailand, the Authority has determined normal value for Thailand on the basis of best available information. The normal value has been constructed based on the cost of production, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

c) Export Price

20. For the purpose of initiation, the export price of the subject goods has been determined by considering the CIF price of the subject goods as reported in DG Systems data. Appropriate adjustments have been made, wherever claimed and considered necessary, on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight, secondary packing, credit cost and inventory carrying cost to arrive at the ex-factory export price.

21. The net export price so determined is considered appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.

d) Dumping Margin

22. The normal value and the export price have been compared, which *prima facie* indicates that the dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries is above the *de minimis* level and is significant. Accordingly, there is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped in the Indian market.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

23. The information furnished by the applicant has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence to establish that the alleged dumped imports from the subject countries have caused material retardation to the establishment of the domestic industry in India. The applicant has claimed that the volume of imports from the subject countries has increased significantly despite commencement of production in India and that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The applicant has further submitted that the dumped imports have prevented the domestic industry from achieving its target prices.

24. The applicant has claimed that it has been unable to fully utilise its capacities due to the presence of dumped imports, which account for almost the entire market share. As a result, the domestic industry has incurred significant losses, cash losses and recorded a negative return on investment. The applicant has also claimed that its actual performance was lower than the projected performance. Further, even after considering normative cost structures, the performance of the domestic industry would remain significantly lower than the projected performance.

25. The information available on record *prima facie* indicates that the domestic industry has suffered injury in the form of material retardation to its establishment due to the allegedly dumped imports from the subject countries. The

applicant has also claimed the existence of a causal link between the alleged dumped imports and the material retardation suffered by the domestic industry.

I. INITIATION OF THE ANTI DUMPING INVESTIGATION

26. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicant and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, regarding dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry in the form of material retardation to its establishment and causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered by the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury in the form of material retardation to the establishment of the domestic industry.

J. PROCEDURE

27. The provisions contained in Rule 6 of the Rules shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

28. All information, questionnaires, and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other mode.

29. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk>. All communications and submissions from interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding Case ID mentioned above. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.

30. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

31. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, including the nature of interest, in the present investigation and file their questionnaire responses/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.

32. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.

33. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) and the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to stay apprised of further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final finding and other such information.

L. TIME LIMIT

34. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of the SETU Portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority on SETU Portal or transmitted to the appropriate diplomatic representatives of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

35. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file its questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this Initiation Notification.

36. The 15-day period to file comments on the scope of the product under consideration / PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification.
37. Extension due to modification of PUC / PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from the date of such notification of modified PUC and prescription of PCN. The extension of time by 15 days stated in this paragraph shall not be applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of the investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension, if granted, will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Rules.
38. Any request for extension must be submitted by the concerned party through the SETU Portal at least 3 days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

39. Any party making confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
40. The parties making any submission, including questionnaire responses and appendices/annexures attached thereto, before the Authority are required to file confidential and non-confidential versions separately in the designated sections of the SETU Portal.
41. The parties making submissions before the Authority shall ensure that:
- i. two separate versions are uploaded, one marked as confidential and the other marked as non-confidential;
 - ii. where the submission contains multiple parts or annexures, an index table listing all such parts and annexures is provided; and
 - iii. every page of the submission is properly page-numbered.
42. Where the original document is in a language other than English or Hindi, the interested party shall provide a true translation thereof in English or Hindi along with the original document.
43. The confidential or non-confidential submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
44. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential and/or any other information which the supplier of such information claims as confidential. For information claimed as confidential, whether by nature or for any other reason, the supplier of such information is required to provide a good cause statement along with the information supplied, explaining why such information cannot be disclosed.
45. The non-confidential version of the information filed by interested parties is required to be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out where indexation is not possible. Such information must be appropriately and adequately summarised, depending upon the information on which confidentiality is claimed.
46. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, where the party submitting confidential information considers that such information is not susceptible to summary, such party may so indicate and provide a statement of reasons containing sufficient and adequate explanation as to why such summarisation is not possible, to the satisfaction of the Authority.
47. Interested parties may offer their comments on the confidentiality claims made by other parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
48. The Authority may accept or reject the request for confidentiality after examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, the Authority may disregard such information.
49. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules and the relevant trade notices issued by the Authority shall not be taken on record by the Authority.

50. Where the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted, it shall not disclose such information to any party without the specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

51. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

O. NON-COOPERATION

52. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority